

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239198
SG-DL-E-29092022-239198

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 271
No. 436]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ASVINA 6, 1944	[N. C. T. D. No. 271

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-1) विभाग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

फा. सं. 03(15)/वित्त (व्यय-1)/2022-23/डीएस-I/780.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की राय में यह आम जनता के हित में समीचीन है ऐसा करने के लिए एतद्वारा उक्त अधिनियम से जुड़ी चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

1. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) से जुड़ी चौथी अनुसूची में, मौजूदा क्रम सं0 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“

2.	शराब (विदेशी और भारतीय निर्मित विदेशी शराब)	रुपये में 25 पैसे
----	---	-------------------

”

यह अधिसूचना 01 सितंबर, 2022 से प्रभावी होगी।

नोट:— अधिसूचना संख्या फा. 10/21/2022-23/SRD/वित्त/1920-1929 दिनांक 01.08.2022, अधिसूचना संख्या फा. 03(107)/वित्त(व्यय-1)/2021-22/डीएस-1/295 दिनांक 10 नवंबर 2021 को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की दूसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 2, में अधिसूचना संख्या फा. 03(06)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/255 दिनांक: 19.05.2017 और अधिसूचना संख्या फा. 03(10)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-VI/178 दिनांक: 09.06.2020, के तहत अंतिम बार संशोधित की गई थीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव-1 (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

F. No. 3(15)/Fin.(Exp.-I)/2022-23/DS-I/780.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 103 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, being of the opinion that it is expedient in the interest of general public to do so, hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule appended to said Act, namely;

AMENDMENTS

1. In the Fourth Schedule appended to Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the existing Serial No. 2 shall be substituted as under:-

“

2.	Liquor (Foreign and Indian Made Foreign Liquor)	25 paise in the rupee
----	---	-----------------------

“

This notification shall come into force with effect from 1st September, 2022.

Note:- Vide Notification No. F10/21/2022-23/SRD/Fin/1920-1929 dated 01.08.2022, the Notification No.F.3(107)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/295 dated 10th November, 2021, has been rescinded. The Second Schedule and serial No.2 of the Fourth Schedule of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), last amended vide Notification No.F.3(6)/Fin(Rev-I)/2017-18/ds-VI/255 dated 19.05.2017 and F.3(10)/Fin(Rev-I)/2020-21/ds-VI/178 dated 09.06.2020, respectively.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
Of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)